"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 जनवरी 2003—पौष 16, शक 1924

गृह (परिवहन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-5/48/दो/आठ-परि./2002.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा इसके पूर्व के आदेश क्रमांक 27/परिवहन/2002, दिनांक 7-1-2002 की निरंतरता में जिसमें यान स्वामी को मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन नया नंबर लेना होगा, कालावधि में निम्नानुसार वृद्धि करती है.

परिवहन यान से भिन्न मोटरयान के मामले में 1 अप्रैल, 2003 से पूर्व.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-5/48/दो/आठ-परि./2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 6-1-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

Raipur, the 6th January 2003

NOTIFICATION

No. F-5/48/Two/Eight-Transport/2002.—In exercise of the powers conferred by rule 56 of the Chhattisgarh Motor Vehicle Rule, 1994, the State Government hereby extend in continuation of the previous order No. 27/Transport/2002 dated 7-1-2002, the period within which the owner of vehicle shall obtain new number under the Motor Vehicle Act, 1988 as under.

In case the motor vehicle is other than transport vehicle, before 1st April, 2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. VIJ, Special Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.